एफ.टी.सी. द्वितीय
के विरुद्ध समस्त अधिवक्ताओं
का क्रमिक अनशन
समस्त अधिवक्तागण, जनपद न्यायालय झाँ

निवेदक- समस्त अधिवक्तागण, जनपद न्यायालय

फोटो चित्र (3)

संलग्नक 7/3

फोटो चित्र (4)

8/170

संलग्नक (7/4)

फोटो निका (6)

(8/166)

संलग्नक (7/5)

सेवा में,

श्रीमान अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश महोदय,

एफ0 टी0 सी0 द्वितीय झाँसी

महोदय,

सूचाकर्ता श्रीमान जी को कुछ जरुरी बातों से अवगत कराना चाहता है।

सविनय निवेदन है कि दिनाँक 22.02.2022 को कुछ अधिवक्तागणों द्वारा कानून के विरुध जाकर आपके खिलाफ क्रमिक अनशन किया गया था।

यह कि उक्त अनशन में एक व्यक्ति अरुण कुमार रायकवार पुत्र चन्द्रमोहन रायकवार निवासी 208 क्रिश्ना नगर कॉलोनी नगरा थाना प्रेमनगर जिला झाँसी के द्वारा अनशन में बैठ कर श्रीमान जी पर अभद्र टिपणीयां की गई थी व श्रीमान जी के लिये गाली गलोज की गई और अरुण कुमार द्वारा अधिवक्ताओं की भीड को श्रीमान जी पर हमला करने के लिये अधिवक्ताओं को कई बार उकसाया गया था।

यह कि पूरे प्रकरण में सूचनाकर्ता श्रीमान जी को अवगत कराना चाहता है कि अरुण कुमार ना ही तो अधिवक्ता है और ना ही तो किसी अधिवक्ता का मुन्शी है अरुण कुमार (एडवोकेट कैलाश चन्द्र अग्रवाल जजी कम्पाउण्ड झाँसी) के चैमबर पर चाये नाशता लाने जूठे बरतन उठाने और झाडू लगाने का काम करता है और खुद को अधिवक्ता बताता है। अरुण कुमार का रजिस्ट्रेशन किसी भी बारकाउन्सल में ना ही तो अधिवक्ता के रुप में है और ना ही मुन्शी के रुप में है फिर भी अरुण कुमार खुद को अधिवक्ता बताता है। अरुण कुमार कचहरी झाँसी में कोट पहन कर तथा टाई लगाकर घूमता है जिससे लौग उसे अधिवक्ता समझें और अधिवक्ता/वकील साहब कहें।

यह कि अरुण कुमार पूर्व में वर्तमान जिला अधिवक्ता संघ झाँसी के अध्यक्ष श्री उदय नारायण राजपूत जी के विरुध फेसबुक पर निठल्ले जेसे अभद्र शब्द लिख कर अभद्र टिपणी कर चुका है जिसमें अधिवकतागणों द्वारा अरुण कुमार को कचहरी झाँसी आने के लिये मना किया गया था लेकिन कोई कानूनी कार्यवाही ना होने की वजह से अरुण कुमार के होंसले बुलन्द है।

कमश........... पेज 2 पर

यह कि अरुण कुमार एक आराजक किसम का व्यक्ति हे जिसकी आपराधिक गतिविधीयों से परेशान होकर थाना प्रेमनगर जिला झाँसी की पुलिस द्वारा दिनाँक 28.01.2022 को धारा– 110 जा0 फौज0 की कार्यवाही की गई थी जो कि न्यायालय श्रीमान अपर नगर मजिस्ट्रेट महोदय, झाँसी के न्यायालय में विचाराधीन है जिसका वाद संख्या 29/2022 है। उक्त कार्यवाही में अरुण कुमार द्वारा दिनाँक 14.02.2022 को आपत्ती प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया है। अरुण पर न्यायालय झाँसी में कई मुकदमें विचाराधीन है।

यह कि अरुण कुमार द्वारा कचहरी झाँसी में कहा जा रहा है कि मेरी पहुँच बहुत उपर तक है मेरी बात अपर नगर मजिस्ट्रेट से हो चुकी है वो मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही नही कर सकता मुझसे तो विमल प्रकाश आर्या भी डरता है अपर नगर मजिस्ट्रेट की क्या ओकात है। ईसी प्रकार अरुण कुमार के होंसले बुलन्द है। उक्त सभी बातों से श्रीमान जी की छवी धूमिल हो रही है।

अतः श्रीमन जी से निवेदन है कि अरुण कुमार के विरुद्ध कडी से कडी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें ताकी अरुण कुमार जेसे आपराधी को सबख मिल सखे।

श्रीमान जी की अती कृपा होगी।

श्रीमान जी के विरुद्ध किये गये अनशन में अरुण कुमार रायकवार के बैठे होने की फोटो की 5 प्रती तथा थाना प्रेमनगर जिला झाँसी द्वारा चलाई गई धारा– 110 जा0 फौज0 की चालानी तथा न्यायालय नोटिस की छाया प्रति सन्लगन है।

दिनाँक 21.03.2022

सूचनाकर्ता
रमाकान्त माहौर
आपका हितैशी
रमाकान्त माहौर
पुत्र स्व श्री हरदयाल
नि0– खेरा नगरा थाना प्रेमनगर
जिला झाँसी

8/172

न्यायालय अपर नगर मजिस्ट्रेट ,झाँसी

वाद संख्या [illegible] /2022 धारा 111 [illegible]
थाना प्रेम नगर जिला झांसी

सरकार बनाम अरूण कुमार

आदेश अन्तर्गत धारा 111 जा0 फौ0

थाना प्रभारी प्रेमनगर ने चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 110 जा0फौ0 दिनांक 26–01–2022 के द्वारा यह अवगत कराया है कि **अरूण कुमार पुत्र चन्द्रमोहन निवासी 208 आजाद नगर कालोनी नैनागढ़ थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी उम्र 29 वर्ष।** अभियुक्त उपरोक्त एक अपराधिक एवं दबंग प्रवृति का व्यक्ति है इसके भय व आतंक से आम जनता में डर है व भयभीत हैं। इसके विरूद्ध थाने पर रिपोर्ट लिखाने एवं न्यायालय में गवाही देने से डरते हैं। संगीन घटना घटित कर शान्ति व्यवस्था भंग कर सकता है। इसका स्वतंत्र रहना जनहित में न्यायोचित नही है। इसके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अभियुक्त को नेकचलनी हेतु अधिक से अधिक समय तक के लिए भारी से भारी जमानते/मुचलको से पाबन्द किया जाना उचित होगा।

अतः मैं अपर नगर मजिस्ट्रेट थाना प्रेमनगर की चालानी रिपोर्ट के आधार पर एतद द्वारा विपक्षी को निर्देशित करता हूँ कि वह दिनांक 14–02–2022 को मेरे न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर कारण बतायें कि उसे 03 वर्ष तक की अवधि के लिए नेकचलनी बनाये रखने हेतु 1,00,000/–की पृथक–पृथक दो प्रतिभूतियॉं एवं इतनी ही धनराशि का एक व्यक्तिगत निजी बन्धपत्र निष्पादित किये जाने हेतु क्यों न आदिष्ट किया जाये।

दिनांक 02–02–2022

अपर नगर मजिस्ट्रेट
झासी।

प्रतिलिपि– थानाध्यक्ष प्रेमनगर जिला झांसी को इस निर्देश के साथ कि उक्त नोटिस विपक्षी पर व जातखास तामील कराकर नियत तिथि के पूर्व इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

अरुण कुमार

अपर नगर मजिस्ट्रेट
झासी।

दिनांक घटना भिन्न भिन्न   समय भिन्न भिन्न

दिनांक सूचना 26.01.2022   समय- 19.25

घटना स्थल – भिन्न-भिन्न

वादी – प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार शुक्ला थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी

प्रतिवादी- अरूण कुमार पुत्र चन्द्रमोहन नि0 206 आजाद कॉलोनी नैनागढ़ थाना प्रेमनगर झाँसी उम्र 31 वर्ष

सेवा मे,

श्रीमान अपर नगर मजिस्ट्रेट
जनपद झांसी

श्रीमान जी,

निवेदन है कि अरूण कुमार पुत्र चन्द्रमोहन नि0 206 आजाद कॉलोनी नैनागढ़ थाना प्रेमनगर झाँसी उम्र 31 वर्ष का मूल निवासी है। अभियुक्त उपरोक्त एक आपराधिक एवं दबंग प्रवृति का व्यक्ति है इसके भय व आतंक से आम जनता मे डर है व भयभीत है। इसके विरूद्ध थाने पर रिपोर्ट लिखाने एंव न्यायालय मे गवाही देने से डरते है। संगीन घटना घटित कर शान्ति व्यवस्था भंग कर सकता है। इसका स्वतंत्र रहना जनहित मे न्यायोचित नही है। इसके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अरूण कुमार पुत्र चन्द्रमोहन नि0 206 आजाद कॉलोनी नैनागढ़ थाना प्रेमनगर झाँसी उम्र 31 वर्ष का चालान अन्तर्गत धारा 110 जा0फौ0 में न्यायालय किया जा रहा है। निवेदन है कि अधिक से अधिक धनराशि के जमानत / मुचलके से पाबन्द करने की कृपा करे।

चालानी रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है।

(संजय कुमार शुक्ला)
प्रभारी निरीक्षक
थाना प्रेमनगर झाँसी

(संजय कुमार शुक्ला)
प्रभारी निरीक्षक
थाना प्रेमनगर झाँसी
PNO-882410515

दण्ड विधि संग्रह की धारा 110 जी के अन्तर्गत कार्यवाही का पत्र थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 670/2015 धारा 323/504 ... 3(1)(10)

... PS प्रेमनगर झाँसी

... सूचना नं0 28 दि0 26.1.22

थाना प्रेमनगर झाँसी

अनुमोदित

रिपोर्ट थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी

श्रीमान,

सादर निवेदन है कि अभि0 ...... पुत्र ...... निवासी ...... थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी उम्र 37 वर्ष का मूल निवासी है तथा आपराधिक प्रवृत्ति का है आम शोहरत अच्छी नही है। गाव/मोहल्ले व आस पास के जनता के व्यक्तियो के साथ मारपीट करता रहता है तथा अपराध की ओर अग्रसर हो रहा है जिसके भय से ग्राम व आस पास के व्यक्ति पुलिस मे शिकायत व माननीय न्यायालय मे गवाही देने की हिम्मत नही कर पाते है।

अतः अभियुक्त ...... उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 110 द0प्र0सं0 मे माननीय न्यायालय किया जाता है पाबन्द कर दण्डित करने की कृपा करे।

26/1/22

(... शुक्ला)

थानाध्यक्ष

थाना प्रेमनगर झाँसी

निवेदक

निवेदक

अधिवक्ता एकता जिन्दाबाद अधिवक्ता एकता जिन्दाबाद अधिवक्ता एकता जिन्दाबाद
भ्रष्ट एवं तानाशाह ए.डी.जे./एफ.टी.सी. द्वितीय
विमल प्रकाश आर्या के विरुद्ध समस्त अधिवक्ताओं
का क्रमिक अनशन
समस्त अधिवक्तागण, जनपद न्यायालय

भ्रष्ट एवं तानाशाह ए.डी.जे./एफ.टी.सी. द्वितीय
विमल प्रकाश आर्या के विरुद्ध समस्त अधिवक्ताओं
का क्रमिक अनशन

भ्रष्ट एवं
जनपद न्यायालय झाँसी

भ्रष्ट एवं
डी.जे.एफ.टी.सी. द्वितीय
विरुद्ध समस्त अधिवक्ताओं
अनशन
जनपद न्यायालय झाँसी

का क्रमिक अनशन
निवेदक- समस्त अधिवक्तागण, जनपद न्यायालय

भ्रष्ट एवं तानाशाह
प्रकाश आर्या के विरुद्ध
निवेदक- समस्त
जनपद न्यायालय